कार्यालय क्षेत्रीय वनमण्डल उमरिया (म.प्र.)

Phone - 07653-222217, - 9424794505 E-mail -dfotumaria@mp.gov.in

क्रमांक/मा.चि./888 /उमरिया, दिनांक/7/5/18

प्रति,

मुख्य वनसंरक्षक
एवं पदेन वन संरक्षक
वन वृत्त शहडोल (म0प्र0)

विषय :– दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना अंतर्गत जिला उमरिया (म.प्र.) के अविद्युतीकरण ग्राम सांस से चिनकी के विद्युतीकरण हेतु 11 के.व्ही. विद्युत लाइन मे प्रस्तावित वनभूमि 1.098 हे. का व्यपवर्तन बावत्।

संदर्भ :– आपका पत्र क्र0/माचि/2018/1287 दिनांक 19.02.2018

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के पालन मे निवेदन है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना अंतर्गत जिला उमरिया (म.प्र.) के अविद्युतीकरण ग्राम सांस से चिनकी के विद्युतीकरण हेतु 11 के.व्ही. विद्युत लाइन मे प्रस्तावित वनभूमि 1.098 हे. का व्यपवर्तन हेतु प्रस्ताव में पाये गये कमियों की पूर्ति कर आवेदक संस्था के पत्र क्रमांक 811–812 दिनांक 16.03.2018 से 05 प्रतियों मे प्रस्तुत किया गया है।

उक्त संदर्भित पत्र द्वारा दिये गये निर्देशानुसार प्रकरण मे पाई गई कमियों/त्रुटियों का विवरण निम्नानुसार प्रेषित है :–

1. प्रस्तावित वनभूमि का फारेस्ट मैप स्केल 1:15000 एवं 1:50000 स्केल का मानचित्र में अंकित कर संलग्न है।
2. व.मं.अ. एवं आवेदक संस्था का आवश्यक वचन पत्र एवं प्रमाण--पत्र संलग्न है।
3. प्रस्तावित विद्युत लाईन निर्माण मे वृक्षों की कटाई न किये जाने के फलस्वरूप उनकी गणना सूची एवं अनुमानित उत्पादन की जानकारी की आवश्यकता नही है।
4. प्रस्तावित विद्युत लाईन निर्माण में वृक्ष प्रभावित नही हो रहे है। अतः वृक्षो का विदोहन नही किया जायेगा।
5. प्रस्तावित विद्युत लाइन वन और वन्य प्राणियों की सुरक्षा की दृष्टि से इन्सुलेटेड विद्युत लाइन ही एक मात्र विकल्प है।

अतः प्रस्ताव मे आवश्यक सहमति/अनुशंसा हेतु प्रस्ताव पुनः 03 प्रतियों मे संलग्न सम्प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

वनमण्डलाधिकारी
उमरिया वनमण्डल (म.प्र.)

पृ0क्रमांक/मा.चि./889 /उमरिया, दिनांक/7/5/18

प्रतिलिपि :– कार्यपालन अभियंता (डी.आर.सी.) म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. शहडोल की ओर सूचनार्थ।

वनमण्डलाधिकारी
उमरिया वनमण्डल (म.प्र.)

O/V

वन अपराध या अवैध सिकार से संबंधित सूचना टोल फ्री नम्बर "155312" अथवा "18002334396" पर दीजिये

कार्यालय क्षेत्रीय वनमण्डल उमरिया (म.प्र.)

Phone - 07653-222217, Fax - 07653- 222217, - 9424794505
E-mail -dfoumaria@gmail.com/ dfotumaria@mp.gov.in

क्रमांक / मा0चि0 / 1690 / उमरिया, दिनांक 21 / 6 / 2018

प्रति,

मुख्य वनसंरक्षक
वन वृत्त शहडोल (म0प्र0)

विषयः– दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत जिला उमरिया (म0प्र0) के अविद्युतीकरण ग्राम सांस से चिनकी के विद्युतकरण हेतु 11 के0व्ही0 विद्युत लाईन में प्रस्तावित वन भूमि 1.098 हे0 का व्यपवर्तन बावत्।

संदर्भः– आपका पत्र क्र0 / मा0चि0 / 2018 / 3393 दिनांक 14.05.2018

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के पालन में निवेदन है कि उक्त प्रकरण में निर्देशों के अनुरूप स्वीकृत जारी किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू–प्रबंध) म0प्र0 भोपाल के पत्र क्र0 / एफ–5 / 2018 / निर्देश / 10–11 / 48 दिनांक 06.01.2018 द्वारा वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत 01 हे0 से कम एवं नक्सल प्रभावित जिलों में 0 से 5 हे0 तक वनभूमि व्यपवर्तन के अधिकार के संबंध में स्वीकृति जारी करने हेतु कार्यवाही प्रक्रिया निर्धारित किये गये है, सुलभ संदर्भ हेतु उक्त निर्देश की प्रति संलग्न है। कृपया बिन्दु क्रमांक 05 एवं 06 का अवलोकन करने का कष्ट किया जाय, तथा प्रकरण में आवश्यक मार्गदर्शन दिये जाने का अनुरोध है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल उमरिया (म.प्र.)

पृ0क्रमांक / मा0चि0 / / उमरिया, दिनांक / / / 2018

प्रतिलिपिः–

1. कार्यपालन अभियंता (डी.आर.सी.) म0प्र0पू0क्षे0वि0वि0कं0लि0 शहडोल जिला शहडोल की ओर सूचनार्थ।

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल उमरिया (म.प्र.)

वन अपराध या अवैध शिकार से संबंधित सूचना टोल फ्री नम्बर "155312" अथवा "18002334396" पर दीजिये